

नम्बर व तारीख  
अहकाम  
दुपस की  
जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी - श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
68 / 2022	2022 / .....	27.09.2022	27.09.2022

**उनवान प्रकरण**

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर

—प्रार्थी

**बनाम्**

सन्तोष पत्नि दानाराम जाति मीणा वगै० निवासी टटेरा तहसील श्रीमाधोपुर

—अप्रार्थी


विविध प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू राजस्व

अधिनियम 1956

--: निर्णय :-




भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66 व 86 राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, अभिशंषा तहसीलदार श्रीमाधोपुर एवं श्रीमान संयुक्त शासन सचिव महो., राजस्व (ग्रुप-6) जयपुर राजस्थान सरकार का परिपत्र क्रमांक प.3 (2) राज-6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। जिसके अनुसार तहसील श्रीमाधोपुर के ग्राम टटेरा के कृषि भूमि खसरा नम्बर 195 रकबा 0.03 हैक्टर बारानी 3 में से 0.03 हैक्टर भूमि में प्रचलित रास्ता जो ग्राम किशोरपुरा से टटेरा जाने वाला है तथा मौके पर सड़क बनी हुई है। जो मौके पर चालू रास्ता है परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शे में उक्त रास्ते का अंकन नहीं है। संबंधित पटवारी हल्का टटेरा ने अपनी मौका जॉच रिपोर्ट में ग्राम टटेरा की भूमि खसरा नम्बर 195 रकबा 0.03 हैक्टर किस्म बारानी. 3 की खातेदारी सन्तोष पत्नि दानाराम जाति मीणा देह हिस्सा 1/2, सावंत सिंह उर्फ बिरजू पुत्र दानाराम जाति मीणा हिस्सा 1/2 देह

  
27/09/22  
दिलीप सिंह  
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर


खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। मौके पर प्रचलित रास्ता जो ग्राम किशोरपुरा से टटेरा जाने वाला है तथा मौके पर सड़क बनी हुई है। जो मौके पर चालू है। उक्त खसरा नम्बर को प्रचलित रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के लिए खातेदारों की सहमति उपलब्ध नहीं होने बाबत बताया है। उक्त रास्ते को चालू होकर सार्वजनिक हित में बताया गया है। इसके साथ ही तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकित करने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा की है।

इस प्रकार यह विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66 व 86 राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 के तहत स्वीकार किये जाने योग्य होने से न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि तहसील श्रीमाधोपुर के ग्राम टटेरा की भूमि खसरा नम्बर 195 रकबा 0.03 हैक्टर किस्म बारानी. 3 में से 0.03 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि पर मौके पर चालू रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे में वर्णितानुसार करावें एवं संलग्न नक्शा ट्रेस में अंकित दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने एवं गैर मुमकीन रास्ते में आने वाली भूमियों का लगान कम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। गैर मुमकीन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान् के खाते में ही दर्ज रहेगी। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस को उक्त आदेश का भाग रहेंगे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर एक माह में पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।



  
(दिलीप सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 27.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(दिलीप सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (सीकर)